I/82448/2022

170 संख्या–82448/IV(2)-शा0वि0–22–12(रिट)/22

प्रेषक,

अनिल काला,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2022

विषय :एन0जी0टी0 में योजित वाद ओ0ए0 संख्या–417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्टाफ अफसर–मुख्य सचिव/सदस्य संयोजक सलाहकार (न्यायिक) (एन0जी0टी0) (पी0बी0) नई दिल्ली के ई0मेल के माध्यम से प्राप्त पत्र दिनांक 23.11.2022 द्वारा एन0जी0टी0 के योजित वाद ओ0ए0 संख्या–417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रगति आख्या से मा0 न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2 उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करत हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुपालन में सभी प्रतिवादियों से कृत कार्यवाही की आख्या प्राप्त करते हुए शासन की और से प्रतिशपथ–पत्र तैयार करवाते हुए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समयबद्ध रूप में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। प्रश्नगत याचिका में यदि अधिवक्ता भी नामित किया जाना हो तो परिपक्व प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
Signed by Anil Kala
Date: 09-12-2022 17:57:55

(अनिल काला)
अनु सचिव।

प्रतिलिपि–1 जिलाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून को इस आशय से प्रेषित की कृत कार्यवाही की आख्या निदेशालय शहरी विकास विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

Scanned with ACE Scanner

)30/2023

संख्या– 149030 /IV(2)-श0वि0–2023

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम– देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक: 24, अगस्त, 2023

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित पिटीशन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री राहुल वर्मा, अधिवक्ता, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 27.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का मय संलग्नकों के सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित पिटीशन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम राज्य में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आख्या समयबद्व रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि इस सम्बन्ध में शासन स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही की अपेक्षा हो, तो उसके विषय में भी अवगत कराने कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय
Signed by Pradeep Kumar Shukla
Date: 24-08-2023 12:05:01
(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Scanned with ACE Scanner

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्या–195604 /IV(2)श0वि0–2024/कोर्ट–केस 12(विट)/22,
देहरादूनः दिनांक 04, ~~फरवरी,~~ मार्च, 2024

संयुक्त सचिव,
विधि एवं न्याय,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया अपने पत्र संख्याः 33, दिनांक 13.02.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र में जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्याः 416, दिनांक 16.02. सन्दर्भ देते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 के प्रस्तर संख्याः 15, 16 एवं 17 पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 25.07.2023 के उपरोक्त प्रस्तरों पर शहरी विकास विभाग की आख्या निम्नानुसार हैः–

प्रस्तर–15– उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 की उपधारा– (1) में निम्नानुसार प्राविधान हैः–

1. - इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक से 03 वर्ष के भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास करेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके।
2. - उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त जोकि उपधारा (1) में वर्णित है, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी।
3. - उपधारा (1) में संदर्भित अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही इस अधिनियम के लागू होने की दिनांक से आगामी 03 वर्ष के लिए स्थगित रहेगी एवं इस अवधि में इन प्रकरणों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नही की जा सकेगी।

इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा– 5 में निम्नवत् प्राविधान है–

1. - दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् प्रारम्भ और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण कार्य।
2. - सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।

Scanned with ACE Scanner

3. - सार्वजनिक सड़क मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपाथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण/विकास।

3– इस प्रकार स्पष्ट है कि धारा 2 की उपधारा– (1) एवं (3) के अनुसार निकाय क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 से 03 वर्ष अर्थात् 15 अक्टूबर, 2021 तक स्थगित रहेगी।

उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम को वर्ष 2021 में संशोधित किया गया तथा 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021' पारित किया गया, जिसके द्वारा वर्ष 2018 के अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करते हुए 03 वर्ष के स्थान पर 06 वर्ष किया गया, अर्थात् अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली दण्डात्मक कार्यवाही अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 से 06 वर्ष अर्थात् 15 अक्टूबर, 2024 तक स्थगित रहेगी।

4– चूंकि मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) का प्राविधान यह स्पष्ट करता है कि दिनांक 11.03.2018 के पश्चात् प्रारम्भ और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण कार्यों को धारा 4 के प्रावधानों के अधीन छूट प्राप्त नही होगी तथा धारा 4 की उपधारा (2) का प्राविधान यह स्पष्ट करता है कि धारा 4 की उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणें के अतिरिक्त जो कि उपधारा (1) में वर्णित हैं, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी,

अतः निरंजन बागची बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं जल संसाधन, नदी संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.10.2016, अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण कार्यो के ऐसे मामलों में प्रभावी हैं, जहॉ निर्माण कार्य दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् हुए हों।

दिनांक 11.03.2016 से पूर्व के अनधिकृत निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान विधेयक, 2018 की धारा 4 की उपधारा–(1) एवं (2) ऐसे मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपडियों को किसी न्यायालय के आदेशों या निर्णय से छूट प्रदान करते हैं, जिनकी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे, अर्थात् सरकार द्वारा उसे मलिन बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया हो।

प्रस्तर– 16– उपरोक्त प्रस्तर–15 के अनुसार।
प्रस्तर–17– उपरोक्त प्रस्तर–15 के अनुसार।

Signed by Suraj Singh Bisht
Date: 04-03-2024 16:11:56

(सूरज सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।

Scanned with ACE Scanner

संख्या–745 /IV(2)-श0वि0–2024/12 विविध/24

प्रेषक,

सुनील सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
देहरादून।

2. नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक: 24 अप्रैल, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्याः 417/2022 निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 25.07.2023 को सुनवाई करते हुए आदेश पारित किये हैं। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 25.07.2023 का क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:–

" We further direct the Secretary, Enviornment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the Collector and Municipal Commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/river body and to ensure the compliances of the environment act. Public property cannot be made subject of encroachment. Further Action Taken Report be filed within four weeks. "

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 25.07.2023 के उक्त क्रियात्मक अंश पर उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 के संगत प्रावधानों के आलोक में कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से 01 सप्ताह के भीतर शासन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांग 25.07. 2023 का अनुपालन ससमय किया जा सके। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 13.05. 2024 नियत है।

प्रेषित– मा0 अधिवक्ता को ई-मेल–24-4-2024

भवदीय

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–745 /IV(2)-श0वि0–2024– तददिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

Scanned with ACE Scanner

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री नीरज, मा0 अधिवक्ता, चैम्बर नं0 160, लॉयर्स चैम्बर्स, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली।

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with ACE Scanner